झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

राँची
दिनांक :— 30/01/19

अधि॰सं॰—02 / स्था॰(स्था॰पद॰)—03—10 / 2018—667— / एरिया मैनेजर, झालको का कार्य करने हेतु निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है:—

क्रम सं॰	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार में कार्य करने निमित्त प्राधिकृत पदस्थापन
1	2	3
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रॉची	एरिया मैनेजर झालको रॉची
2	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग	एरिया मैनेजर झालको हजारीबाग
3	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर	एरिया मैनेजर झालको चाईबासा
4	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	एरिया मैनेजर झालको मेदिनीनगर

2. झालको के कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकृत किए गए लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अपने अधीनस्थ नियमित सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता की सेवाएँ आवश्यकतानुसार झालको के कार्यों में सम्बद्ध कर सकेंगे।

3. इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

30.01.19
(प्रदीप कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

ज्ञापांक :— 667 राँची, दिनांक :— 30/01/19

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ विभागीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख—01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई रॉची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा—01, 02, 03, 04, 05, 06, 07ब॰, 7यो॰ एवं 8ए॰, 8बी॰ एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.01.19
(प्रदीप कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

D:\PRAMOD-2018\UNDER SEC. JF\NOTIFACTION\Area AE Change.docx